भारत सरकार
पेट्रोलयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकत प्रश्न सं0 **2239**
दिनांक **2** दिसम्बर, 2019

सीएनजी सेवाएं

2239. श्री पंकज चौधरीः
श्री रेबती त्रिपुराः
श्री राजेन्द्र धेड्या गावतः
श्री चुन्नी लाल साहुः
श्री जय सद्देश्वर शवाचार्य स्वामीजीः
श्री रामचन्द्र बोहराः
श्री जय प्रकाशः
श्री जी॰ सेल्वमः
श्री धनुष एम॰ कुमारः
श्री वजय कुमार दुबेः
श्री मनोज तिवारीः

क्या पेट्रोलयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) महाराष्ट्र के शोलापुर जिला सहित वर्तमान में देश में सीएनजी/पीएनजी नेटवर्क द्वारा कवर कए गए क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में सीएनजी/पीएनजी सेवाओं को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लए कोई योजना है और यदि हां, तो वशेषरूप से महाराष्ट्र के शोलापुर, और पालघर, छत्तीसगढ़ के जिलों तथा मध्य प्रदेश के जिलों में स्थापना के लए प्रस्तावत सीएनजी स्टेशनों की संख्या का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार/जिला-वार ब्यौरा क्या है तथा चह्नित कए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या आवश्यक कार्रवाई की गई है और ये स्टेशन कब तक काम करना शुरू कर देंगे;

(ग) सरकार के समक्ष आ रही, वशेषकर तमलनाडु में समस्याओं का ब्यौरा क्या है तथा देश में प्राकृतिक गैस में कवरेज में सुधार लाने में आ रही चुनौतियों का सामना करने के लए वशेषकर त्रिपुरा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या देश की जरूरतों को पूरा करने के लए सीएनजी की वर्तमान उत्पादन क्षमता पर्याप्त नहीं है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ङ) कतने लोगों को अनुमति दी जा चुकी है तथा उन लोगों की संख्या कतनी है जो प्रतीक्षा सूची में हैं;

(च) क्या लोग अभी भी सीएनजी की तुलना में पेट्रोल को ईंधन के रूप में ज्यादा पसंद करते हैं यदि हां, तो लोगों के बीच सीएनजी को लोकप्रय बनाने के लए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) सीएनजी सेवाओं से पूरे देश को कब तक जोड़ दिए जाने की संभावना है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (छ) पीएनजीआरबी अ धनियम, **2006** के अनुसार पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस वनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) भौगो लक क्षेत्रों (जीएज) में नगर गैस वतरण (सीजीडी) नेटवर्क के वकास के लए कंपनियों को प्रा धकार प्रदान करने वाला प्रा धकरण है। पीएनजीआरबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन संबद्धता के वकास और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के साथ-साथ सीजीडी नेटवर्क के वकास हेतु प्रा धकार प्रदान करने के लए भौगो लक क्षेत्रों की पहचान करता है। सीजीडी 229 जीएज में पहुंच योग्य होगा जिसमें 406 जिले सम्मि लत हैं, जो 27 राज्यों और यूटीज में फैले हुए हैं, जो भारत की आबादी के लगभग 70% भाग को कवर करते हैं और भौगो लक क्षेत्रों का 53% जिसमें महाराष्ट्र के सोलापुर और पालघर जिले, छत्तीसगढ़ के जिले और मध्य प्रदेश के जिले शा मल हैं। कंपनियों द्वारा 9वें और 10वें दौर में पीएनजीआरबी को प्रस्तुत की गई न्यूनतम कार्य योजना के अनुसार, जीए-वार सीएनजी स्टेशन अनुलग्नक-I और II में दिए गए हैं।

पेट्रो लयम आयोजना और वश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, लगभग 18,646 एमएमएससीएम प्राकृतिक गैस का उत्पादन घरेलू तौर पर कया गया है और लगभग 19,031 एमएमएससीएम एलएनजी का आयात अप्रैल-अक्तूबर, **2019** की अव ध के दौरान देश में कया गया है। यह गैस भी पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) और संपी डत प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की मांग पूरी करती है।

त मलनाडु राज्य में कार्यरत कंपनियों के सामने प्रयोग के अ धकार का अर्जन/मार्ग का अ धकार, अनुमति/स्वीकृति प्रदान करने में वलंब और प्राकृतिक गैस/अन्य पाइपलाइनों को बिछाने के संबंध में गांवों की ओर से प्रतिरोध के मुद्दों का सामना कर रही हैं।

त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस कवरेज के वकास के संबंध में, पीएनजीआरबी ने पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के वकास के लए इन्द्रधनुष गैस ग्रड ल0 को अनंतिम रूप से प्रा धकृत कया है। पीएनजीआरबी ने गोमती जिला (पहले से प्रा धकृत क्षेत्र को छोड़कर) 9वें सीजीडी बोली दौर के तहत त्रिपुरा प्राकृतिक गैस को भी प्रा धकृत कया है।

सीजीडी नेटवर्कों के वस्तार को बढ़ावा देने और शहरों में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार ने निम्लि खत उपाय कए हैं:

i. घरेलू गैस जो आयातित गैस से सस्ती है, पीएनजी (घरेलू) और सीएनजी (परिवहन) सीजीडी क्षेत्र के भागों की समस्त मांग को पूरा करने के लए आबंटित की गई है और इसे कोई कटौती नहीं श्रेणी में रखा गया है।

ii. श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सीजीडी परियोजनाओं को सार्वजनिक उपयो गता की है सयत प्रदान की गई है।

iii. रक्षा मंत्रालय ने अपने आवासीय क्षेत्रों/यूनिट लाइनों में पीएनजी के इस्तेमाल के लए दिशा निर्देश जारी कए हैं।

iv. लोक उद्यम वभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसईज) को अपने आवासीय परिसरों में पीएनजी की व्यवस्था रखने के लए दिशा-निर्देश जारी कए हैं।

v. आवास और शहरी वकास मंत्रालय ने निम्न ल खत पहलुओं पर राज्य को हिदायत जारी की हैं:

क. स्थानीय दशाओं के अनुसार समयबद्ध अनुमति के साथ सड़क मरम्मत/अनुमति प्रभारों को मानकीकृत करना।

ख. नगर/शहर के आयोजना के चरण में सीएनजी स्टेशनों के वकास के लए भूखंड निर्धारित करना और उक्त को संशो धत मास्टर प्लान में वनिर्दिष्ट कया जाए।

ग. वास्तुकला डजाइन करने के चरण में रिहायशी और वा णज्यिक भवनों में गैस पाइपलाइन अवसंरचना के लए उप-नियम बनाने के लए सुसंगत संशोधन कया जाए।

vi. इसके अलावा, आवास और शहरी वकास मंत्रालय ने केन्द्रीय लोक निर्माण वभाग और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को निर्दे शत कया है क सभी सरकारी रिहायशी परिसरों में पीएनजी का प्रावधान करें।

अनुलग्नक -I

सीएनजी सेवाएं के संबंध में दिनांक 02.12.2019 को पूछे गए लोकसभा अतारांकत प्रश्न सं **2239** के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखत अनुलग्नक

9वें सीजीडी बोली दौर में कंपनी द्वारा पीएनजीआरबी को प्रस्तुत न्यूनतम कार्य योजना के अनुसार सीएनजी स्टेशनों के ब्यौरे

व शष्ट जीए आईडी	भौगो लक क्षेत्र (जीए)	राज्य/केंद्र शा सत प्रदेश	न्यूनतम कार्य कार्यक्रम
			सीएनजी स्टेशन
9.01	श्रीकाकुलम, वशाखापत्तनम और वजयनगरम जिले	आंध्र प्रदेश	**211**
9.02	कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिले	असम	**21**
9.03	कामरूप और कामरूप महानगर जिले	असम	**51**
9.04	औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिले	बिहार	**12**
9.05	बेगूसराय जिला	बिहार	**25**
9.06	गया और नालंदा जिले	बिहार	**46**
9.07	दीव और गरसोमनाथ जिले	दमन और दीव व गुजरात	**35**
9.08	सुरेंद्रनगर जिला (ईएएए) और मोरबी जिला (ईएएए)	गुजरात	**20**
9.09	बरवाला और रणपुर ताल्लुका	गुजरात	**4**
9.10	नवसारी जिला (ईएएए), सूरत जिला (ईएएए), तापी जिला (ईएएए) और डांग जिला	गुजरात	**25**
9.11	जूनागढ़ जिला	गुजरात	**45**
9.12	खेड़ा जिला (ईएएए) और महिसागर जिला	गुजरात	**30**
9.13	नर्मदा (राजपीपला) जिला	गुजरात	**4**
9.14	पोरबंदर जिला	गुजरात	**12**
9.15	पंचकुला जिला (ईएएए), सरमौर, शमला व सोलन (ईएएए) जिले	हरियाणा व हिमाचल प्रदेश	**45**
9.16	भवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ जिले	हरियाणा	**60**
9.17	हिसार जिला	हरियाणा	**46**
9.18	झज्जर जिला	हरियाणा	**46**
9.19	सोनीपत जिला(पहले से अ धकृत क्षेत्रों को छोड़कर) व जींद जिला	हरियाणा	**38**
9.20	नूंह और पलवल जिले	हरियाणा	**60**
9.21	बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिले	हिमाचल प्रदेश	**10**
9.22	बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़ जिले	झारखंड	**99**
9.23	गरिडीह और धनबाद जिले	झारखंड	**30**
9.24	चत्रदुर्ग और दावणगेरे जिले	कर्नाटक	**42**
9.25	उडुपी जिला	कर्नाटक	**11**
9.26	बल्लारी और गडग जिले	कर्नाटक	**24**
9.27	बीदर जिला	कर्नाटक	**4**
9.28	द क्षण कन्नड़ जिला*	कर्नाटक	**100**
9.29	रामनगर जिला	कर्नाटक	**37**
9.30	को झकोड और वायनाड जिले	केरल	**142**
9.31	मलप्पुरम जिला	केरल	**130**
9.32	कन्नूर, कासरगोड और माहे जिले	केरल और पुदुचेरी	**125**
9.33	पलक्कड़ और त्रिशूर जिले	केरल	**200**
9.34	भोपाल और राजगढ़ जिले	मध्य प्रदेश	**104**
9.35	गुना जिला	मध्य प्रदेश	**7**
9.36	रीवा जिला	मध्य प्रदेश	**18**
9.37	सतना और शांडोल जिले	मध्य प्रदेश	**8**
9.38	अहमदनगर और औरंगाबाद जिले	महाराष्ट्र	**106**
9.39	वलसाड (ईएएए), धुले और ना सक जिले	महाराष्ट्र और गुजरात	**156**
9.40	लातूर और उस्मानाबाद जिले	महाराष्ट्र	**30**

9.41	सांगली और सतारा जिले	महाराष्ट्र	64
9.42	संधुदुर्ग जिला	महाराष्ट्र	25
9.43	अंगुल और ढेकनाल जिले	ओ डशा	21
9.44	सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिले	ओ डशा	20
9.45	बालासोर, भद्रक और मयूरभंज जिले	ओ डशा	20
9.46	बरगढ़, देवगढ़ और संबलपुर जिले	ओ डशा	11
9.47	गंजम, नयागढ़ और पुरी जिले	ओ डशा	15
9.48	जगत संहपुर और केंद्रपाड़ा जिले	ओ डशा	10
9.49	जाजपुर और केंदुझार जिले	ओ डशा	19
9.50	कराईकल और नागप नम जिले	पुदुचेरी और त मलनाडु	27
9.51	पुदुचेरी जिला*	पुडुचेरी	130
9.52	एसएएस नगर जिला (ईएएए), पटियाला और संगरूर जिले	पंजाब	54
9.53	लु धयन एक जिला (पहले से अ धकृत क्षेत्र को छोड़कर), बरनाला और मोगा जिले	पंजाब	47
9.54	जालंधर जिला (ईएएए), कपूरथला और एसबीएस नगर जिले	पंजाब	51
9.55	बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले	राजस्थान	80
9.56	अलवर (भवाड़ी से अन्य) और जयपुर जिले *	राजस्थान	132
9.57	कोटा जिला (ईएएए), बारां और चत्तौड़गढ़ (केवल रावतभाटा तालुका) जिले	राजस्थान	27
9.58	भीलवाड़ा और बूंदी जिले	राजस्थान	25
9.59	चत्तौड़गढ़ (रावतभाटा तालुका से अन्य) और उदयपुर जिले *	राजस्थान	70
9.60	धौलपुर जिला	राजस्थान	14
9.61	कांचीपुरम जिला *	त मलनाडु	111
9.62	चेन्नई और तिरुवल्लुर जिले *	त मलनाडु	222
9.63	कोयम्बटूर जिला	त मलनाडु	273
9.64	कुड्डलोर, नागप नम और तिरुवरूर जिले	त मलनाडु	40
9.65	रामनाथपुरम जिला	त मलनाडु	11
9.66	सलेम जिला	त मलनाडु	158
9.67	तिरुप्पुर जिला	त मलनाडु	75
9.68	भद्राद्रीकोठगुडेम और खम्मन जिले	तेलंगाना	12
9.69	जगतीयाल, पेद्दापल्ली, करीमनगर और राजनासर कला जिले	तेलंगाना	5
9.70	जगाँव, जयशंकर भूपालपल्ली, महबूबबाद, वारंगल शहरी और वारंगल ग्रामीण जिले	तेलंगाना	12
9.71	मेडक, सद्दीपेट और संगारेड्डी जिले	तेलंगाना	54
9.72	मेडचल-मलकज गरी, रंगा रेड्डी और वकाराबाद जिले	तेलंगाना	110
9.73	नलगोंडासूरपेट और यादाद्रिभुवन गरी जिले	तेलंगाना	75
9.74	गोमती जिला	त्रिपुरा	6
9.75	पश्चिम त्रिपुरा (ईएएए) जिला	त्रिपुरा	6
9.76	बुलंदशहर जिला (ईएएए), अलीगढ़ और हाथरस जिले	उत्तर प्रदेश	46
9.77	इलाहाबाद जिला (ईएएए), भदोही और कौशाम्बी जिले	उत्तर प्रदेश	24
9.78	अमेठी, प्रतापगढ़ और रायबरेली जिले	उत्तर प्रदेश	20
9.79	औरैया, कानपुर देहात और इटावा जिले	उत्तर प्रदेश	27
9.80	फैजाबाद और सुल्तानपुर जिले	उत्तर प्रदेश	4
9.81	गोरखपुर, संतकबीर नगर और कुशीनगर जिले	उत्तर प्रदेश	36
9.82	मेरठ जिला (ईएएए), मुजफ्फरनगर और शामली जिले	उत्तर प्रदेश	36
9.83	मुरादाबाद (ईएएए) जिला	उत्तर प्रदेश	27
9.84	उन्नाव (ईएएए) जिला	उत्तर प्रदेश	2
9.85	देहरादून जिला	उत्तराखंड	50
9.86	बर्दवान जिला	पश्चिम बंगाल	80
योग			4.603

* न्यायाधीन | नोट: ईएएए का आशय छोड़कर/पहले से ही अधिकृत क्षेत्र को छोड़कर से है

अनुलग्नक - II

सीएनजी सेवाएं के संबंध में दिनांक 02.12.2019 को पूछे गए लोकसभा अतारांकत प्रश्न सं **2239** के भाग **(**क**)** से **(**छ**)** के उत्तर में उल्लिखत अनुलग्नक

10वें सीजीडी बोली दौर में कंपनी द्वारा पीएनजीआरबी को प्रस्तुत न्यूनतम कार्य योजना के अनुसार सीएनजी स्टेशनों के ब्यौरे

वशिष्ट जीए आईडी	भौगोलक क्षेत्र (जीए)	राज्य	न्यूनतम कार्य कार्यक्रम
			सीएनजी स्टेशन
10.01	अनंतपुर और वाईएसआर (कडप्पा) जिले	आंध्र प्रदेश	**134**
10.02	श्री पोटी श्रीरामुलु नेल्लोर जिला	आंध्र प्रदेश	**81**
10.03	चत्तूर, कोलार और वेल्लोर जिले	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमलनाडु	**251**
10.04	अररिया, पूर्णया, कटिहार और कशनगंज जिले	बिहार	**79**
10.05	अरवल, जहानाबाद, भोजपुर और बक्सर जिले	बिहार	**50**
10.06	खगड़या, सहरसा और मधेपुरा जिले	बिहार	**9**
10.07	लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर जिले	बिहार	**16**
10.08	मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण और समस्तीपुर जिले	बिहार	**222**
10.09	नवादा और कोडरमा जिले	बिहार और झारखंड	**21**
10.10	शेखपुरा, जमुई और देवघर जिले	बिहार और झारखंड	**16**
10.11	कैथल जिला	हरियाणा	**27**
10.12	सरसा, फतेहाबाद और मनसा (पंजाब) जिले	हरियाणा और पंजाब	**54**
10.13	चतरा और पलामू जिले	झारखंड	**4**
10.14	सराइकेला-खरसावां जिला	झारखंड	**41**
10.15	पश्चिम संहभूम जिला	झारखंड	**5**
10.16	बगलकोट, कोप्पल और रायचूर जिले	कर्नाटक	**114**
10.17	चक्कमगलुरु, हासन और कोडागु जिले	कर्नाटक	**121**
10.18	कालाबुरागी और वजयापुर जिले	कर्नाटक	**62**
10.19	मैसूरु, मांड्या और चामराजनगर जिले	कर्नाटक	**171**
10.20	उत्तरा कन्नड़, हावेरी और शवमोग्गा जिले	कर्नाटक	**126**
10.21	अलापुज्हा, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जिले	केरल	**291**
10.22	अशोकनगर जिला	मध्य प्रदेश	**9**
10.23	ग्वालयर (ईएएए) जिला और श्योपुर जिला	मध्य प्रदेश	**26**
10.24	मुरैना जिला	मध्य प्रदेश	**8**
10.25	रायसेन, शाजापुर और सीहोर जिले	मध्य प्रदेश	**65**
10.26	शवपुरी जिला	मध्य प्रदेश	**11**
10.27	सीधी और संगरौली जिले	मध्य प्रदेश	**11**
10.28	उज्जैन (ईएएए) जिला, देवास(ईएएए) जिला व इंदौर (ईएएए) जिला	मध्य प्रदेश	**42**
10.29	अनूपपुर, बिलासपुर और कोरबा जिले	मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़	**20**
10.30	झाबुआ, बांसवाड़ा, रतलाम और डूंगरपुर जिले	मध्य प्रदेश व राजस्थान	**54**
10.31	झांसी (ईएएए) जिला, भंड, जालौन, ललतपुर और दतिया जिले	मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश	**29**
10.32	फ़िरोज़पुर, फरीदकोट और श्री मुक्तसर साहिब जिले	पंजाब	**45**
10.33	होशयारपुर और गुरदासपुर जिले	पंजाब	**81**
10.34	अजमेर, पाली और राजसमंद जिले	राजस्थान	**198**
10.35	जालोर और सरोही जिले	राजस्थान	**30**
10.36	आजमगढ़, मऊ और बलया जिले	उत्तर प्रदेश	**40**
10.37	बरेली (ईएएए) जिला, पीलीभीत और रामपुर जिले	उत्तर प्रदेश	**140**
10.38	बस्ती और अंबेडकरनगर जिले	उत्तर प्रदेश	**18**

10.39	फर्रुखाबाद, एटा और हरदोई जिले	उत्तर प्रदेश	**75**
10.40	गोंडा और बाराबंकी जिले	उत्तर प्रदेश	**36**
10.41	जौनपुर और गाजीपुर जिले	उत्तर प्रदेश	**38**
10.42	कानपुर (ईएएए) जिला, फतेहपुर और हमीरपुर जिले	उत्तर प्रदेश	**45**
10.43	मैनपुरी और कन्नौज जिले	उत्तर प्रदेश	**45**
10.44	मर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र जिले	उत्तर प्रदेश	**51**
10.45	शाहजहाँपुर और बदायूँ जिले	उत्तर प्रदेश	**75**
10.46	बिजनौर और नैनीताल जिले	उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड	**91**
10.47	दार्जि लंग, जलपाईगुड़ी और उत्तर दिनाजपुर जिले	पश्चिम बंगाल	**125**
10.48	हावड़ा (ईएएए) जिला और हुगली (ईएएए) जिला	पश्चिम बंगाल	**100**
10.49	नादिया (ईएएए) जिला और उत्तर **24** परगना (ईएएए) जिला	पश्चिम बंगाल	**110**
10.50	द क्षण **24** परगना (ईएएए) जिला	पश्चिम बंगाल	**65**
योग			**3.578**
नोटः ईएएए का आशय छोड़कर/पहले से ही अ धकृत क्षेत्र को छोड़कर से है			